भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

<u>लोक सभा</u>

<u>अतारांकित प्रश्न सं. 969</u>

(जिसका उत्तर सोमवार, 08 फरवरी, 2021/19 माघ, 1942 (शक) को दिया जाना है)

शिक्षा उपकर

969. डॉ. ए. चेल्लाकुमार:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संपूर्ण देश में गत तीन वर्षों के दौरान लगाए गए शिक्षा उपकर तथा इसके आवंटन की कार्याविधि और आयकर से संग्रहीत राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अब तक संग्रहीत शिक्षा उपकर का उपयोग कर लिया है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) शिक्षा उपकर के उपयोग हेतु अब तक चिह्नित योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आयकर पर शिक्षा उपकर लगाने से पूर्व इसके उपयोग हेतु कोई अध्ययन किया है; और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा शिक्षा उपकर के माध्यम से एकत्रित निधि के प्रभावी उपयोग हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): (i) शुरू में, शिक्षा उपकर को वित्त वर्ष 2004-05 से 2% की दर से वसूला गया था ताकि मूलशिक्षा तथा मिड डे भोजन योजना के लिए अतिरिक्त संसाधनों को उपलब्ध कराया जा सके। तत्पश्चात् वित्त वर्ष 2007-08 से, माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा के वित्त पोषण के लिए तथा सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु 54% तक क्षमता के विस्तार के लिए 1% की दर से अतिरिक्त उपकर वसूला गया था। इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे(बीपीएल) तथा ग्रामीण परिवारों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य की जरूरतों की देखभाल करने के लिए वित्त वर्ष 2018-19 से 3% के शिक्षा उपकर को 4% की दर से 'स्वास्थ्य तथा शिक्षा उपकर' द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

(ii) उपकर का आवंटन निम्नानुसार है:-

स्वास्थ्य तथा शिक्षा उपकर की कुल प्राप्तियां निम्नानुसार वितरित की गई हैं:-

प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा	-60%
उच्चतर शिक्षा	-15%
स्वास्थ्य	-25%

(iii) देश भर में पिछले तीन वर्षों के दौरान आयकर पर संग्रहीत शिक्षा उपकर/स्वास्थ्य तथा शिक्षा उपकर के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रूपए में)

क्रम संख्या	**वित्त वर्ष**	**संग्रहीत शिक्षा उपकर की कुल राशि**
1	2017-18	28,174.09*
2	2018-19	40,590.57**
3	2019-20	38,430.21**

* शिक्षा उपकर में प्राथमिक शिक्षा तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर शामिल है।

** वित्त वर्ष 2018-19 से प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा उपकर की स्वास्थ्य तथा शिक्षा उपकर के रूप में बदल दिया गया है।

(ख): पिछले तीन वित्तीय वर्षों में शिक्षा उपकर की उपयोगिता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रूपए में)

वित्त वर्ष	**उच्चतर शिक्षा का विभाग**	**स्कूल शिक्षा का विभाग**	**योग**
2017-18	0	19,088.01	19,088.01
2018-19	7,935.72	28,506.54	36,442.26
2019-20	9,088.75	30,656.81	39,745.56

(ग): शिक्षा उपकर की उपयोगिता के लिए अब तक वर्गीकृत योजनाओं/कार्यक्रमों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

1. उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाएं

(i) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए)

(ii) ब्याज राज सहायता तथा गारंटी निधियों के लिए अंशदान

(iii) कॉलेज तथा विश्व विद्यालय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति

(iv) पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स तथा टीचिंग

(v) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों(आईआईटी) को सहायता

(vi) विश्व विद्यालय अनुदान आयोग(यूजीसी)

(vii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद(एआईसीटीई)

(viii) केंद्रीय विश्वविद्यालयों(सीयू) को अनुदान

(ix) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान(एनआईटी) को सहायता

2. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाएं:-

(i) मिड डे भोजन(मील) योजना

(ii) समग्र शिक्षा

(iii) छात्रवृत्ति तथा

(iv) प्रोत्साहन

(घ) एवं **(ड़):** प्रत्यक्ष करों की वसूली से संबंधित कार्य तथा प्रत्यक्ष करों पर उपकर विधायी तथा बजटीय अभ्यास के कोर्स में किए गए अर्थव्यवस्था के विभिन्न कारकों के अध्ययन की निरन्तर प्रक्रिया का एक भाग है। शिक्षा उपकर की वसूली के बारे में प्रस्ताव वित्त(संख्या-2) विधेयक, 2004 का हिस्सा था जिसे संसद में बहस तथा विचार विमर्श के बाद वित्त(संख्या-2) अधिनियम, 2004 के रूप में अधिनियमित किया गया था। बजट प्रक्रिया वर्ष दर वर्ष की जाती है और शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर खर्च के लिए शिक्षा उपकर के आवंटन का प्रस्ताव उपकर से संग्रहीत राशि के प्रभावी उपयोग हेतु संसद के समक्ष रखा जाता है।

******